

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिंगोट मोटर मार्ग से पाव मार्ग निर्माण हेतु 1.092 हे० वन भूमि में NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-1257/PO दिनांक 03.06.2022 एवं वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती का पत्रांक-2430/1-14 दिनांक 09.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों से अवगत कराया गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें 06.01.2017 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage-I Approval) जारी की जा चुकी है परन्तु वर्तमान समय तक विधिवत स्वीकृति (Stage-II Approval) जारी नहीं हुई है, में NPV की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि का मांग पत्र जारी कर प्रस्तावक विभाग से अतिरिक्त धनराशि वसूल करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

इस सम्बन्ध में विषयगत मोटर मार्ग हेतु NPV की संशोधित दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है :-

प्रस्ताव संख्या	ईको क्लास	क्षेत्रफल (हे० में)	Stage-I की तिथि	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरों के अनुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रु० में)
				औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	औसत घनत्व	दर प्रति हे०	धनराशि (रु० में)	
FP/UK/ROAD/9574/2015	V	1.092	02.05.2015	0.2	845000.00	922740.00	0.2	1292850.00	1411792.20	489052.20

उपरोक्तानुसार जमा किये जाने वाली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि रु० 489052.00 का (Challan Generate) कर ऑनलाइन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सके। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक / तददिनांकित।

प्रतिलिपि -

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड देहरादून की सेवा में उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून उक्त के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, मुनि की रेती को उनके सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पुनीत तोमर)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

DI MAN / - चौक

21/08/2022

10/8/22

12/08/22